प्रेस विज्ञप्ति
08/04/2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), देहरादून उप आंचलिक कार्यालय ने मादक पदार्थों की अवैध तस्करी और अपराध के आगम के धन शोधन के मामले में संग्राम सिंह @ संतोष, सुंदर सिंह, विशाल कक्कड़ और नंदन सिंह बिष्ट के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), देहरादून के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है।

ईडी ने उत्तराखंड पुलिस द्वारा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (एनडीपीएस एक्ट) के तहत दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जो पीएमएलए के तहत एक अनुसूचित अपराध है।

पुलिस कार्रवाई के कारण यूके 04 सीबी 5197 पंजीकरण संख्या वाले वाहन को रोका गया, जिसमें से लगभग 31 किलो चरस (कैनबिस) बरामद की गई थी। आरोपी व्यक्ति उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से चरस प्राप्त करने और उसे दिल्ली और अन्य स्थानों पर बेचने में लगे हुए पाए गए, जिससे उन्हें पर्याप्त अवैध आय प्राप्त हो रही थी।

पीएमएलए के तहत जांच के दौरान, एकत्र किए गए सबूतों से पता चला कि आरोपी मादक पदार्थों के अवैध परिवहन और बिक्री में शामिल थे और अर्जित लाभ आपस में वितरित किया गया था। अपराध की आय के धनशोधन को स्थापित करने के लिए आरोपियों के बैंक रिकॉर्ड, संपत्ति विवरण और वित्तीय लेनदेन की जांच की जा रही है।

पीएमएलए के तहत जांच से यह भी पता चला है कि सुंदर सिंह, जिसने कई बैंक खाते बनाए, ने 2018-2020 के दौरान कई लाख की नकदी जमा की। उनके दाखिल किए गए आयकर रिटर्न के साथ इन जमाओं की जवाबी जांच करने पर, उनकी आय के कथित स्रोतों और वास्तविक रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के बीच स्पष्ट विसंगतियां पाई गईं।

इसी प्रकार, संग्राम सिंह @ संतोष की वित्तीय जांच से पता चला कि वह एक ट्रक (यूके04 सीबी 5197) का मालिक था और उसे चलाता था तथा उसके नाम पर व्यक्तिगत बैंक खाते भी थे। जांच से पता चलता है कि उसके पास आय के सीमित घोषित स्रोत थे, मुख्य रूप से ट्रक संचालन से, फिर भी उसके वित्तीय रिकॉर्ड में उसकी ज्ञात कमाई से अधिक लेनदेन दर्शाया गया था।

इन लेनदेन के साथ-साथ मादक पदार्थों की जब्ती से आरोपी व्यक्तियों द्वारा चरस की अवैध तस्करी से उत्पन्न अवैध आय के धनशोधन का संकेत मिलता है।